न्यायालय विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–4, बरेली

<u>जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 6884/26</u>

संजय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

अपराध संख्या–235/2016
अन्तर्गत धारा 138बी विद्युत अधिनियम,
थाना एंटी पॉवर थेप्ट, बरेली।

<u>दिनांक 05.06.2026</u>

1. अभियुक्त संजय कुमार पुत्र हरप्रसाद, निवासी मो0 शिवपुरी कस्बा व थाना मीरगंज, जिला बरेली की तरफ से उपरोक्त प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

2. अभियुक्त की तरफ से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, उसको फर्जी व झूठा फंसाया गया है, जबकि वह पूर्णतः निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। अभियुक्त ने कोई बिजली की चोरी नहीं किया है। उचित जमानती देने को तैयार है। वह जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। उसका कोई आपराधिक इतिहास नही है। उक्त तथ्यों के आधार पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

3. अभियोजन की तरफ से पावर कारपोरेशन के नामित विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि, अभियुक्त पर विद्युत चोरी करने का आरोप है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित हो चुका है।

4. उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी तथा अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

5. अवलोकन से विदित है कि, अभियुक्त पर पुनः कटिया डालकर विद्युत चोरी करने का आरोप है। उसने न्यायालय के समक्ष स्वेच्छा से आत्मसर्पण किया है। आरोप पत्र प्रेषित हो चुका है, जिस पर प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मामले के गुण दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्ति किये अभियुक्त को प्रस्तुत प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त संजय कुमार की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को अंकन 25,000/–रू0 का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि का एक प्रतिभू न्यायालय की सन्तुष्टि पर दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(रामानन्द)
विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–4, बरेली
जे.ओ. कोड नं0–6393

Digitally signed by RAMANAND
Date: 2026.06.06 14:15:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court